न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : मानाराम पटेल आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 110/2018

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– श्रीमती शांतिदेवी पुत्री लक्ष्मणदास उर्फ लक्ष्मणा पत्नी हीरालाल जाति खत्री निवासी जलजोग चोराहा के पास, जोधपुर 2– श्रीमती अमरीदेवी पुत्री लक्ष्मणदास उर्फ लक्ष्मणा पत्नी लेखराज जाति खत्री निवासी राय कॉलोनी, बाडमेर		1–ईश्वरचंद पुत्र स्व0 लक्ष्मणदास जाति खत्री निवासी बाडमेर 2–दीपचंद पुत्र स्व0 लक्ष्मणदास फोत के का0मुकाम– 2.1–श्रीमती सरस्वती पत्नी राधाकृष्ण खत्री पुत्री स्व0 दीपचंद जाति खत्री निवासी मकान नंबर 3–ए, 269 स्वामी विवेकानन्द विद्यालय के पास, जय नारायण व्यास कॉलोनी, बीकानेर 2.2–श्रीमती जसोदा खत्री पत्नी स्व0 महेन्द्र कुमार खत्री पुत्री स्व0 दीपचंद जाति खत्री निवासी सम्राट अपार्टमेंट, एचडीएफसी बैंक के पास, बारडोली सुरत गुजरात 2.3–श्रीमती गंवरी पत्नी ताराचंद पुत्री स्व0 दीपचंद जाति खत्री निवासी शास्त्री नगर नाले के पास, बाडमेर 2.4–श्रीमती कुसुमलता पत्नी भगवानदास पुत्री स्व0 दीपचंद जाति खत्री निवासी मेन बाजार शिव बाडमेर 3– मुकेश पुत्र स्व0 गोरधनदास 4– राकेश पुत्र स्व0 गोरधनदास 5– श्रीमती राधादेवी पत्नी स्व0गोरधनदास सभी जातियान खत्री निवासीगण बाडमेर 6–ग्राम पंचायत बाडमेर आगोर तहसील बाडमेर जरिये सरपंच

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 20–4–2018 जो उपखण्ड अधिकारी बाडमेर द्वारा राजस्व अपील संख्या 22/2007 मे पारित किया गया ।

राजस्व अपील संख्या 111/2018

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– श्रीमती शांतिदेवी पुत्री लक्ष्मणदास उर्फ लक्ष्मणा पत्नी हीरालाल जाति खत्री निवासी जलजोग चोराहा के पास, जोधपुर 2– श्रीमती अमरीदेवी पुत्री लक्ष्मणदास उर्फ लक्ष्मणा पत्नी लेखराज जाति खत्री निवासी राय कॉलोनी, बाडमेर		1–ईश्वरचंद पुत्र स्व0 लक्ष्मणदास जाति खत्री निवासी बाडमेर 2–दीपचंद पुत्र स्व0 लक्ष्मणदास फोत के का0मुकाम– 2.1–श्रीमती सरस्वती पत्नी राधाकृष्ण खत्री पुत्री स्व0 दीपचंद जाति खत्री निवासी मकान नंबर 3–ए, 269 स्वामी विवेकानन्द विद्यालय के पास, जय नारायण व्यास कॉलोनी, बीकानेर 2.2–श्रीमती जसोदा खत्री पत्नी स्व0 महेन्द्र कुमार खत्री पुत्री स्व0 दीपचंद

		जाति खत्री निवासी सम्राट अपार्टमेंट, एचडीएफसी बैंक के पास, बारडोली सुरत गुजरात 2.3–श्रीमती गंवरी पत्नी ताराचंद पुत्री स्व0 दीपचंद जाति खत्री निवासी शास्त्री नगर नाले के पास, बाडमेर 2.4–श्रीमती कुसुमलता पत्नी भगवानदास पुत्री स्व0 दीपचंद जाति खत्री निवासी मेन बाजार शिव बाडमेर 3– मुकेश पुत्र स्व0 गोरधनदास 4– राकेश पुत्र स्व0 गोरधनदास 5– श्रीमती राधादेवी पत्नी स्व0गोरधनदास सभी जातियान खत्री निवासीगण बाडमेर 6–ग्राम पंचायत बाडमेर आगोर तहसील बाडमेर जरिये सरपंच

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 20–4–2018 जो उपखण्ड अधिकारी बाडमेर द्वारा राजस्व अपील संख्या 21/2007 मे पारित किया गया ।

राजस्व अपील संख्या 109/2018

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– श्रीमती शांतिदेवी पुत्री लक्ष्मणदास उर्फ लक्ष्मणा पत्नी हीरालाल जाति खत्री निवासी जलजोग चोराहा के पास, जोधपुर 2– श्रीमती अमरीदेवी पुत्री लक्ष्मणदास उर्फ लक्ष्मणा पत्नी लेखराज जाति खत्री निवासी राय कॉलोनी, बाडमेर		1–ईश्वरचंद पुत्र स्व0 लक्ष्मणदास जाति खत्री निवासी बाडमेर 2–दीपचंद पुत्र स्व0 लक्ष्मणदास फोत के का0मुकाम– 2.1–श्रीमती सरस्वती पत्नी राधाकृष्ण खत्री पुत्री स्व0 दीपचंद जाति खत्री निवासी मकान नंबर 3–ए, 269 स्वामी विवेकानन्द विद्यालय के पास, जय नारायण व्यास कॉलोनी, बीकानेर 2.2–श्रीमती जसोदा खत्री पत्नी स्व0 महेन्द्र कुमार खत्री पुत्री स्व0 दीपचंद जाति खत्री निवासी सम्राट अपार्टमेंट, एचडीएफसी बैंक के पास, बारडोली सुरत गुजरात 2.3–श्रीमती गंवरी पत्नी ताराचंद पुत्री स्व0 दीपचंद जाति खत्री निवासी शास्त्री नगर नाले के पास, बाडमेर 2.4–श्रीमती कुसुमलता पत्नी भगवानदास पुत्री स्व0 दीपचंद जाति खत्री निवासी मेन बाजार शिव बाडमेर 3– मुकेश पुत्र स्व0 गोरधनदास 4– राकेश पुत्र स्व0 गोरधनदास 5– श्रीमती राधादेवी पत्नी स्व0गोरधनदास सभी जातियान खत्री निवासीगण बाडमेर 6– लूम्बाराम पुत्र स्व0 ईशराराम जाति माली निवासी लक्ष्मीपुरा बाडमेर 7– ग्राम पंचायत बाडमेर आगोर तहसील बाडमेर जरिये सरपंच

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 20–4–2018 जो उपखण्ड अधिकारी बाडमेर द्वारा राजस्व अपील संख्या 24/2007 मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः– (तीनो अपीलो मे)

1– श्री लाधूराम पूनिया अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।

2– श्री सुगनमल परिहार अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 6 की ओर से (अपील संख्या 109/2018 मे)

3– शेष अपीलों मे रेस्पो0गण बावजुद तामिल के अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक 5–11–2018

उक्त तीनो ही अपीलें अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडमेर द्वारा उनके न्यायालय की क्रमशः अपील संख्या 22/2007, अपील संख्या 21/2007 एवं अपील संख्या 24/2007 मे पारित किये गये निर्णय दिनांक 20–4–2018 के विरूद्ध पेश की है, जिसमे एक समान पक्षकारान, एक समान अपीलाधीन भूमि, एक समान कानूनी बिन्दु निहित होने से उक्त तीनो अपीले एक ही निर्ण्रय से निर्णित की जा रही है । तीनो अपीलो मे निर्णय की एक–एक मूल प्रति नत्थी की जाये ।

अपील संख्या 110/2018 के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बाडमेर शहर के खसरा नंबर 1453, खसरा नंबर 1450, 1451 व 1452 कुल 4 खसरान की 13.03 बीघा भूमि के खातेदार लिछमणा पुत्र गंगाराम कौम खत्री निवासी बाडमेर था। उसके फोत होने पर उनके स्थान पर उक्त खातेदारी की भूमि का फोतेदगी **नामांतरकरण संख्या 274** उनके 3 पुत्रो दीपचंद, ईश्वरचंद, गोरधनदास पि0 लिछमणा कौम खत्री के नाम भरकर पटवारी हल्का ने दिनांक 2–5–67 को पेश किया गया जिसे सरपंच ग्राम पंचायत बाडमेर आगोर द्वारा प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 16–7–67 के अनुसरण मे स्वीकृत किया गया । उक्त नामांतरकरण संख्या 274 के विरूद्ध मृतक खातेदार लक्ष्मणदास की पुत्रियो ने उपखण्ड अधिकारी बाडमेर के समक्ष प्रथम अपील वर्ष 2007 मे पेश की जिसके अपील संख्या 22/2007 पडे जिसमे अपीलांटगण का कथन था कि वे मृतक खातेदार लक्ष्मणदास की पुत्रियां है जो हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के प्रावधान अनुसार प्रथम श्रेणी की वारिसान होने से पुत्रियो का भी नाम उक्त म्युटेशन मे नाम दर्ज किया जाना चाहिये था, जो दर्ज नही करने से उक्त म्युटेशन को निरस्त करने का निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडमेर ने बाद सुनवाई के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20–4–2018 के द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील को मयाद के बिन्दु पर खारीज कर दी जाने पर वर्तमान द्वितीय अपील पेश की गई है ।

अपील संख्या 111/2018 के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि नामांतरकरण संख्या 274 स्वीकृत होने के पश्चात उक्त नामांतरकरण मे वर्णित खातेदारान दीपचंद, ईश्वरचंद, गोरधनदास पि0 लिछमणा मे से ईश्वरचंद द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा अपने भाई गोरधनदास के पक्ष मे हकतर्क करने पर **म्युटेशन संख्या 2087** सरपंच ग्राम पंचायत बाडमेर आगोर द्वारा वर्ष 2001 मे स्वीकृत किया गया उक्त म्युटेशन संख्या 2087 के विरूद्ध भी वर्तमान अपीलांटगण ने प्रथम अपील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की जिसके अपील संख्या 21/2007 पडे तथा उक्त अपील को अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20–4–2018 के द्वारा मयाद बाहर मानकर खारीज कर दिये जाने पर वर्तमान द्वितीय अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की गई है ।

अपील संख्या 109/2018 के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि नामांतरकरण संख्या 2087 स्वीकृत होने के पश्चात अपीलाधीन भूमि के खातेदारान द्वारा खसरा नंबर 1453 की कुल भूमि मे से 7.09 बीघा भूमि का रजिस्टर्ड बेचान लुम्बाराम पुत्र ईशराराम जाति माली निवासी बाडमेर को कर देने पर बेचान के आधार पर सरपंच ग्राम पंचायत बाडमेर आगोर द्वारा स्वीकृत किये गये **म्युटेशन संख्या 2108** के विरूद्ध अपीलार्थियां ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील संख्या 24/2007 पेश की, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20–4–2018 के द्वारा मयाद बाहर मानकर खारीज कर दिये जाने पर वर्तमान द्वितीय अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की गई है ।

वकील अपीलांट उपस्थित तथा अपील संख्या 109 मे रेस्पो0 संख्या 6 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित । उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी । वकील अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांटगण उक्त अपीलाधीन भूमि के मूल खातेदार लिछमणा पुत्र गंगाराम कौम खत्री निवासी बाडमेर की पुत्रियां है तथा प्रथम श्रेणी की वारिसान है परंतु उक्त खातेदार लिछमणा के फोत होने पर उसके खातेदारी की भूमि का फोतेदगी म्युटेशन ग्राम पंचायत बाडमेर आगोर ने मृतक के वारिसान की जांच किये बिना केवल पुत्रो के नाम दर्ज कर दिया, जो विधिसम्मत नही होने से उक्त फोतेदगी म्युटेशन संख्या 274 एवं उसके पश्चात स्वीकृत अन्य दो म्युटेशनो की जानकारी अपीलांटगण को होने पर उक्त तीनो म्युटेशनो के विरूद्ध पृथक–पृथक तीन अपीलें अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडमेर के समक्ष पेश की, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने एक ही अपीलाधीन निर्णय के द्वारा अपील का मेरिट पर निर्णय नही कर केवल मयाद के बिन्दु पर ही खारीज कर दी जो विधिसम्मत नही होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष

बहस के दौरान मयाद के बिन्दु पर प्रस्तुत की गई निर्णय नजीरो पर भी गौर किये बिना अपील को मयाद के बिन्दु पर खारीज करने बाबत जो आदेश पारित किया है, वह विधि एवं न्यायसंगत नही होने से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त योग्य है । वकील अपीलांट ने कथन किया कि अपीलांटगण मृतक खातेदार लिछमणा की पुत्रियां होने से हिन्दु उतराधिकार अधिनियम अनुसार प्रथम श्रेणी की वारिसान है, जिन्हे अपने पिता के खातेदारी की भूमि से वंचित रखते हुए जो फोतेदगी म्युटेशन संख्या 274 स्वीकृत किया था, वह प्रांरभ से ही शून्य था तथा उसके पश्चात स्वीकृत दोनो म्युटेशन भी स्वतः ही शून्य माने जायेंगे तथा यह भी कथन किया कि ऐसे प्रारंभ से ही शून्य आदेशो को कभी भी चुनौती दी जा सकती है जिसमे मयाद का बिन्दु गौण हो जाता है परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी प्रावधान को नजरअंदाज करते हुए जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह विधि एवं न्यायसंगत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन मे आर.आर.डी. 2002 पेज 65, आर.आर.डी. 1994 पेज 604,आर.आर.डी. 1995 पेज 300 तथा आर.आर.डी. 1998 पेज 319 की निर्णय नजीरें पेश करते हुए अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत उक्त तीनो अपीलो को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20–4–2018 को निरस्त करने तथा अपीलाधीन तीनो म्युटेशन संख्या 274, 2087 एवं 2108 ग्राम बाडमेर शहर को निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार बाडमेर को मृतक खातेदार लिछमण के समस्त वारिसान के नाम विरासत का नामांतरकरण दर्ज किये जाने के आदेश पारित करने का निवेदन किया ।

अपील संख्या 109/2018 के रेस्पो0 संख्या 6 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलाधीन भूमि के संबंध मे कथन किया कि अपीलाधीन भूमि के मूल खातेदार लिछमण की मृत्यु पर म्युटेशन संख्या 274 वर्ष 1967 मे स्वीकृत होने के बाद उसके खातेदारो ने खसरा नंबर 1453 रकबा 12.16 बीघा मे से कुछ भू भाग का रजिस्टर्ड बेचान 14 व्यक्तियो को पहले ही कर दिया था तथा उक्त बेचान का म्युटेशन संख्या 1853 स्वीकृत हुआ जिसकी कोई अपील नही की है ।

वकील रेस्पो0 संख्या 6 ने कथन किया कि अपीलाधीन भूमि खसरा नंबर 1453 की शेष भूमि मे से 7.09 बीघा भूमि का रजिस्टर्ड बेचान रेकर्डेड खातेदारान द्वारा रेस्पो0 संख्या 6 लुम्बाराम पुत्र ईशराराम जाति माली को किया जाने पर स्वीकृत म्युटेशन संख्या 2108 की अपील प्रस्तुत की है जबकि इसी खसरे की और भी भूमि के बेचान होने पर म्युटेशन नंबर 2224, 2255, 2275, 2295 आदि भी स्वीकृत हुए है परंतु उनकी अब तक कोई अपील नही की है केवल रेस्पो0 संख्या 6 को हेरान व परेशान करने हेतु अपील पेश नही की है जबकि अपीलाधीन भूमि पर कभी अपीलांटगण का कब्जा काश्त नही रहा ।

वकील रेस्पो0 संख्या 6 ने कथन किया कि अपीलांटगण ने अधीनस्थ न्यायालय मे फोतेदगी म्युटेशन संख्या 274 जो वर्ष 1967 मे स्वीकृत हुआ था, उक्त म्युटेशन के विरूद्ध वर्ष 2007 मे लगभग 40 वर्ष के विलंब से अपील पेश की तथा उसके बाद के म्युटेशन संख्या 2087 व 2108 के म्युटेशनो को भी अपीलो के द्वारा चेलेंज किया है, जो विधिसम्मत नही होने से अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह विधिसम्मत होने से अपीलांटगण की उक्त तीनो अपीलो को खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 संख्या 6 ने यह भी कथन किया कि अपीलाधीन भूमि पर 40 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद मौके पर आबादी बस चुकी है, डामर सडके बन गई है, पानी बिजली के कनेक्शन ले लिये गये है तथा वर्तमान मे अपीलाधीन भूमि मे से अधिकाशं के पट्टे भी नगरपालिका द्वारा जारी किये जा चुके है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय मे उक्त तमाम तथ्यो को प्रकट किये बिना तथा केतागण एवं रेकर्डेड खातेदारान को पक्षकार बनाये बिना केवल मृतक लिछमण के पुत्रो एवं उनके वारिसान को पक्षकार बनाते हुए आपसी मिलावट कर अपीले पेश करवाई है जो भाई बहिनो की दुरभि संधि प्रतीत होती है इसलिए इतने लंबे अंतराल के बाद अपीले पेश होने से अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह विधिसम्मत होने से अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत उक्त तीनो अपीलो को खारीज करने का निवेदन किया ।

अपीलांट अधिवक्ता ने रिबेटल बहस मे कथन किया कि अपीलांटगण जो कि मृतक खातेदार लिछमण की पुत्रियां होने से अपीलाधीन भूमि मे उनका भी पुत्रो के समान हक अधिकार था परंतु उन्हे अपने पिता के खातेदारी की भूमि से वंचित रखते हुए विरासत का जो म्युटेशन स्वीकृत किया गया जो त्रुटिपूर्ण था । वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अपीलाधीन भूमि मौके पर खाली पडी है कोई आबादी बसी हुई नही है इसलिए अपीलाधीन भूमि मे अपीलांटगण का भी भाईयो के साथ नाम दर्ज करने हेतु आदेश पारित करने का निवेदन किया ।

रिबेटल मे अपीलांट अधिवक्ता की बहस के प्रत्युत्तर मे रेस्पो0 संख्या 6 के अधिवक्ता ने कथन किया कि मौके पर भूमि खाली है या नही, सही स्थिति की जानकारी के लिए तहसीलदार बाडमेर से खसरा नंबर 1453 की मौका रिपोर्ट तलब करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20–4–2018 का अवलोकन किया तथा तहसीलदार बाडमेर से अपील मे वर्णित वादग्रस्त भूमि मौजा बाडमेर शहर के खसरा नंबर 2453 की मौके की वस्तुस्थिति रिपोर्ट, जो इस न्यायालय से चाही जाने पर भिजवाई गई, का भी अवलोकन किया ।

अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 274 जो कि खातेदार लिछमणा के फोत होने पर उसके तीन पुत्रो के नाम वर्ष 1967 मे स्वीकृत हुआ था, उसके पश्चात म्युटेशन संख्या 2087 जो कि खातेदार ईश्वरचंद द्वारा अपने भाई गोरधनराम के पक्ष मे उसके सम्पूर्ण हिस्से का हकतर्क करने पर स्वीकृत हुआ तथा तीसरा म्युटेशन संख्या 2108 जो खातेदारान द्वारा खसरा नंबर 1453 की भूमि मे से रेस्पो0 संख्या 6 लुम्बाराम को किये गये पजीबद्ध बेचान के आधार पर स्वीकृत हुआ था, उक्त तीनो म्युटेशनो को अपीलांटगण द्वारा वर्ष 2007 मे प्रथम अपील के जरिये अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडमेर के समक्ष चुनौती दी जाने पर अधीनस्थ न्यायालय ने उभयपक्ष की विस्तृत सुनवाई एवं जवाब के बाद अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20–4–2018 को पारित करते हुए उनके समक्ष प्रस्तुत तीनो अपीलो को मयाद के बिन्दु पर खारीज करने बाबत जो आदेश पारित किया है, वह समर्थन योग्य है ।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध इस न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत उक्त तीनो अपीलो मे यदि गुण अवगुण पर भी विचार किया जाये तो तहसीलदार बाडमेर द्वारा उक्त अपीलाधीन भूमि के संबंध मे प्रस्तुत मौके की वस्तुस्थिति रिपोर्ट एवं राजस्व रेकर्ड अनुसार मौके पर आबादी बसी हुई है तथा अपीलाधीन भूमि छोटे–छोटे टुकडो मे अलग–अलग व्यक्तियो को बेचान हो चुका है, तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट दिनांक 25–10–2018 के सलंग्न प्रस्तुत जमाबंदियो अनुसार अपीलाधीन खसरा नंबर 1453 की भूमि के बट्टा नंबर डलकर 26 खसरो मे विभक्त हो चुकी है तथा आवासीय कॉलोनी,दुकाने तथा फेक्ट्री आदि बनी हुई है तथा डामर सडको का निर्माण करवाया हुआ है । तहसीलदार बाडमेर की रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत मौका नजरी नक्शा अनुसार खसरा नंबर 2882/1453 रकबा 7.02.05 बीघा का खाली भूखण्ड दर्शाया गया है जो जमाबंदी संवत 2071–74 अनुसार खातेदार खेताराम वल्द दोलाराम वगैरा के नाम दर्ज है जिनमे वर्तमान रेस्पो0 संख्या 6 लुम्बाराम पुत्र ईशराराम माली के खातेदारी का रकबा 6.1414 बीघा दर्शाया हुआ है । तहसीलदार बाडमेर की रिपोर्ट के सलंग्न प्रस्तुत जमाबंदी अनुसार खसरा नंबर 1453 के 12 बट्टा नंबर नगर परिषद बाडमेर के नाम दर्ज है । इसके अलावा विभिन्न खातेदारो के नाम से 12 बट्टा नंबर तथा एक बडा भू भाग 7.02.05 बीघा का खेताराम वगैरा के नाम दर्ज है । मृतक लिछमणा के वारिसान के नाम कोइ भूमि शेष नही रही है । अथार्त् अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 274 मे वर्णित खसरा नंबर 1453 की समस्त भूमि का बेचान अंतरण हो चुका है तथा मौके पर भूमि का स्वरूप बदल चुका है तथा आबादी बस चुकी है।

इन तमाम तथ्यो से यह प्रकट है कि लगभग 40 वर्षो के अंतराल के बाद मृतक खातेदार लिछमणा के पुत्रो एवं पुत्रियों ने आपस मे दुरभिसंधि करते हुए

मृतक लिछमणा की पुत्रियों वर्तमान अपीलांटगण को आगे करके फोतेदगी म्युटेशन एवं उसके बाद के उक्त म्युटेशनो को अपील के जरिये चुनोती दी जाने पर अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह विधि एवं न्यायसंगत होने से उसमे हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना न्यायोचित नही समझते है ।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत उक्त तीनो द्वितीय अपीले सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडमेर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20–4–2018 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 5–11–2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(मोनाराम पटेल) 5/11/18
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर